Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 75-2017/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, MAY 3, 2017 (VAISAKHA 12, 1939 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 3rd May, 2017

No. 21-HLA of 2017/36.— The Chaudhary Ranbir Singh University, Jind (Amendment and Validation) Bill, 2017, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 21- HLA of 2017

CHAUDHARY RANBIR SINGH UNIVERSITY, JIND (AMENDMENT AND VALIDATION) BILL, 2017

A

BILL

further to amend Chaudhary Ranbir Singh University, Jind Act, 2014.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called Chaudhary Ranbir Singh University, Jind (Amendment and Validation) Act, 2017. Short title

2. For the existing preamble to Chaudhary Ranbir Singh University, Jind Act, 2014 (hereinafter called the principal Act), the following preamble shall be substituted, namely:- Amendment of preamble to Haryana Act 28 of 2014.

"to establish and incorporate a University at Jind to facilitate and promote higher education with special emphasis in emerging areas of information technology and computer education, commerce, humanities, management studies and also to achieve excellence in these and connected fields.".

3. Sub-section (2) of section 1 of the principal Act shall be omitted. Amendment of section 1 of Haryana Act 28 of 2014.

Substitution of section 4 of Haryana Act 28 of 2014.

4. For existing section 4 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-

"4. Territorial exercise of powers.– (1) The limits of the area within which the University shall exercise its powers shall be such, as the Government may, from time to time, by notification, specify:

Provided that different areas may be specified for different faculties.

(2) Notwithstanding anything contained in any State law for the time being in force, any college situated within the limits of the area specified under sub-section (1) shall, with effect from such date, as may be notified in this behalf by the Government, be deemed to be associated with and admitted to the privileges of the University and shall cease to be associated in any way with or be admitted to any privileges of any other university and different dates may be notified for different colleges.".

Amendment of section 6 of Haryana Act 28 of 2014.

5. Clause (x) of section 6 of the principal Act shall be omitted.

Validation.

6. Notwithstanding notification under sub-section (2) of section 1 of the principal Act having not been issued, anything done or any action taken or purported to have been done or taken during the period commencing from the 7th August, 2014, under the provisions of the principal Act to the commencement of this amending Act, shall, for all purposes, be deemed to be, and to have always been done and taken in accordance with law and shall not be called in question before any court of law on this ground.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Making Haryana an educationally leading State has been the principal concern of the present State Government. The focus of the State Government is to provide affordable, equitable and need based quality education to all. Opportunities abound, yet the challenges are unprecedented. The higher education sector in Haryana has to respond to the dynamic changes happening all over the globe. A market driven approach, adopting emerging technologies, effective fund raising and deployment backed by the right policy framework by the Government is the key to boost the higher education sector. Incredible expansion has taken place in the field of Higher education both in terms of quality and quantity in recent past.

On persistent demand, assurances have been made by the Hon'ble Chief Minister in Haryana Vidhan Sabha that affiliation of colleges with the State Universities will be reviewed by the Government. The State Government has established many State Universities in recent past for imparting higher education so as to enhance the gross enrolment ratio and to improve quality standards in higher education. To regulate proliferation of institution of higher education, territorial jurisdiction for all State Universities has been re-considered. In this era of ICT and e-learning, we need to formulate quality benchmarks for universities to allow them to conduct courses without compromising the quality. The re-distribution of the colleges as per the territorial jurisdiction of the State University will ensure quality education for all sections of society within their reach. It is also felt that to affiliate all the Colleges of Education with a single State University is not administratively convenient and logistically desirable.

Therefore, it has been considered necessary to make suitable amendments in the existing Chaudhary Ranbir Singh University, Act, 2014 by the legislature of the State of Haryana.

Hence, this Bill.

RAM BILAS SHARMA,
Education Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 3rd May, 2017.

R.K.NANDAL,
Secretary.

(प्राधिकृत अनुवाद)

2017 का विधेयक संख्या–21 एच०एल०ए०

चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जीन्द (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक, 2017

चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जीन्द अधिनियम, 2014, को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम ।

1. यह अधिनियम चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जीन्द (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2017, कहा जा सकता है।

2014 का हरियाणा अधिनियम 28 की प्रस्तावना का संशोधन।

2. चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जीन्द अधिनियम, 2014 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की विद्यमान प्रस्तावना के स्थान पर, निम्नलिखित प्रस्तावना प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''सूचना प्रौद्योगिकी तथा कम्प्यूटर शिक्षा, वाणिज्य, मानविकी, प्रबन्धन अध्ययन के उभरते क्षेत्रों में विशेष बल सहित उच्चतर शिक्षा को सुकर बनाने तथा उन्नत करने के लिए तथा इन क्षेत्रों तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में भी उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए जीन्द में विश्वविद्यालय स्थापित तथा निगमित करने हेतु अधिनियम।''।

2014 का हरियाणा अधिनियम 28 की धारा 1 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 1 की उप–धारा (2) का लोप कर दिया जाएगा।

2014 का हरियाणा अधिनियम 28 की धारा 4 का प्रतिस्थापन।

4. मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 4 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''4. शक्तियों का क्षेत्रीय प्रयोग.– (1) उस क्षेत्र की सीमाएं, जिनके भीतर विश्वविद्यालय अपनी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो सरकार, समय–समय पर, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे :

परन्तु विभिन्न संकायों के लिए विभिन्न क्षेत्र विनिर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

(2) तत्समय लागू किसी राज्य विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी, उप–धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट क्षेत्र की सीमाओं के भीतर अवस्थित कोई महाविद्यालय ऐसी तिथि, जो सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाए, से विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों से सहयुक्त तथा स्वीकृत किया गया समझा जाएगा तथा किसी अन्य विश्वविद्यालय के किन्हीं विशेषाधिकारों से किसी भी रूप में सहयुक्त अथवा स्वीकृत नहीं रहेगा तथा विभिन्न महाविद्यालयों के लिए विभिन्न तिथियां अधिसूचित की जा सकती हैं।''।

2014 का हरियाणा अधिनियम 28 की धारा 6 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 6 के खण्ड (भ) का लोप कर दिया जाएगा।

विधिमान्यकरण।

6. मूल अधिनियम की धारा 1 की उप–धारा (2) के अधीन अधिसूचना जारी नहीं होते हुए भी, इस संशोधित अधिनियम के प्रारम्भ से मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन 7 अगस्त, 2014 से प्रारम्भ अवधि के दौरान की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई बात या कार्रवाई सभी प्रयोजनों के लिए, विधि के अनुसार की गई तथा सदैव की गई बात या कार्रवाई समझी जाएगी तथा इस आधार पर किसी विधि न्यायालय के सम्मुख प्रश्नगत नहीं होगी।

उद्देश्य और कारणों का विवरण

हरियाणा को शैक्षणिक रूप से अग्रणी राज्य बनाना वर्तमान राज्य सरकार की मुख्य चिंता है। राज्य सरकार का ध्यान सभी को सस्ती, न्यायसंगत और आवश्यक आधारभूत शिक्षा प्रदान करना है । संभावनाएं प्रचुर है, लेकिन चुनौतियां भी अभूतपूर्व हैं। हरियाणा के उच्च शिक्षा क्षेत्र को दुनिया भर में हो रहे गतिशील परिवर्तनों का उत्तर देना होगा । उभरती हुई तकनीको को अपनाने, बाजार द्वारा संचालित दृष्टिकोण, प्रभावी निधि बढ़ाने और सरकार द्वारा सही नीति ढांचे द्वारा समर्थित तैनाती हरियाणा में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। हाल के दिनों में गुणवत्ता और मात्रा के मामले में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अविश्वसनीय विस्तार हुआ है ।

लगातार मांग पर, हरियाणा विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया है कि राज्य विश्वविद्यालयों के साथ महाविद्यालयों की सम्बद्धता की समीक्षा सरकार द्वारा की जाएगी । राज्य सरकार ने हाल ही में उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए कई राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की है ताकि सकल नामांकन अनुपात में सुधार किया जा सके और उच्च शिक्षा में गुणवत्ता मानदंडों में सुधार किया जा सके । उच्च शिक्षा संस्थान के प्रसार को विनियमित करने के लिए, सभी राज्य विश्वविद्यालयों के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार को पुनः विचारा गया है । आईसीटी और ई–लर्निंग के इस युग में, हमें विश्वविद्यालयों के लिए गुणवत्ता के मानदंड़ तैयार करने की आवश्यकता है ताकि वे गुणवत्ता के साथ समझौता किए बिना पाठ्यक्रम संचालित कर सकें । राज्य विश्वविद्यालयों के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के अनुसार महाविद्यालयों का पुनः वितरण, समाज के सभी वर्गों की पहुंच में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करेगी । यह भी महसूस किया गया है कि एकल राज्य विश्वविद्यालय से शिक्षा के सभी महाविद्यालयों को संबद्ध करना प्रशासनिक रूप से सुविधाजनक और तर्कसंगत वांछनीय नहीं है ।

इसलिए, हरियाणा राज्य की विधायिका द्वारा मौजूदा चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2014 में उपयुक्त संशोधन करने के लिए आवश्यक माना है ।

इसलिए, यह विधेयक ।

राम बिलास शर्मा,
शिक्षा मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़:
दिनांक 3 मई, 2017.

आर. के. नांदल,
सचिव।

55264—H.V.S.—H.G.P., Chd.